

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 16-2-16 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निगरानी 520-एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 1-02-16 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर प्रकरण क्रमांक 03/अ-21/2015-16.

केशलाल मार्को पिता अमानी सिंह मार्को
निवासी 78 ग्राम इन्द्रा
तहसील व जिला जबलपुर

----- आवेदक

विरुद्ध

1- श्री गनेश पटेल श्री संतलाल पटेल
उम्र 23 साल निवासी हनुमान मंदिर नई बस्ती
कजरवारा वेयर हाउस के पास
तहसील व जिला जबलपुर

2- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर

----- अनावेदकगण



XXXIX(a)BR(H)-11

राजसुव ढणुडल, ढधुडुरदेश, गुवललडर

डुरकरण कुरढांक - नलग0 520-एक/16

ऑलल - ऑडलडुर

स्थान तथा दिनांक	करुडवाही तथा आदेश	डुरक्षकारुं एवं अडुडलडुरकुं आदल के हसुतलक्षर
16-2-16	<p>डुरकरण का अवलुकन कलडल । डुह नलगरानी कलेकुटर, ऑडलडुरदुर दुरदुरल डुरकरण कुरढांक 03/अ-21/2015-16 डुं डुरलरलत आदेश दिनांक 01-02-16 के वलरुदु ढ0डुर0 डुू-राजसुव संहलतल, 1959 (ऑलसे आगे संहलतल कहा ऑलडेगा) की धारा 50 के तहत डुरसुतुत की गई है ।</p> <p>2- उडुडुडुरकुं के वलदुडुन अधलवकुतुतलकुं अधलवकुतुतलकुं के तर्कुं डुर वलडुरल कलडुल एवं आवेदक अधलवकुतुतल दुरदुरल डुरसुतुत अधलनसुथ नुडुलडुलडुल के अडुडुलेख की आदेश डुरतुरलकलकुं एवं अनुडु दसुतलवेऑुं का डुरलरलशुीलन कलडुल । डुह डुरकरण आवेदक दुरदुरल अधलनसुथ नुडुलडुलडुल के सडुडु डुरसुतुत डुूडुडु वलकुरडु के आवेदन डुर डुरलरंऑु हुआ है । ऑलसडुं आवेदक दुरदुरल गुरलडु इडुडुरल डुर.ह.नं. 84 रा.नल. डुं. खडुहुरलडुल तहसुील व ऑलल ऑडलडुरदुर सुथलत डुूडुडु खसुरल नं. 509/1 रकडुल 1.440 हैकुटर के वलकुरडु की अनुडुतल देने का अनुरुध कलडुल गलडुल है । उकुतुत आवेदन कलेकुटर दुरदुरल अनुवलडुडुलगीडु अधलकलरुी कुं ऑलंक कर डुरतलवेदन हेतु डुेऑुल गलडुल । अनुवलडुडुलगीडु अधलकलरुी ने उकुतुत आवेदन नलडुडु तहसुीलदलर, खडुहुरलडुल कुं ऑलंक हेतु डुेऑुल गलडुल । ऑलस डुर से नलडुडु तहसुीलदलर दुरदुरल वलधलवत ऑलंक कर तथा उडुडुडुडु के कथन लेने के उपरलंत डुूडुडु वलकुरडु की अनुशंसल का डुरतलवेदन अनुवलडुडुलगीडु अधलकलरुी के ढलधुडुडु से कलेकुटर कुं डुरसुतुत कलडुल गलडुल है । डुरतलवेदनकुं डुं डुह डुी सुडुडु उल्लेख कलडुल गलडुल है आवेदक दुरदुरल वलकुरडु की ऑल रही डुूडुडु शलसन से डुटुटे डुर डुरलडुत डुूडुडु नही है डुलुक आवेदक दुरदुरल कुरडु की गई है । कलेकुटर ने डुुखुडु सुडु से आवेदक कुं इस आधलर डुर डुरसुतलवलत डुूडुडु वलकुरडु की अनुडुतल देने से इंकलर कलडुल है कल डुरशुनलधीन डुूडुडु डुर आवेदक का नलडु</p>	

Handwritten signature/initials.

3

R. 520. I/16 (जयपुर)

केशलाल मार्को विरुद्ध गनेश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>संशोधित किए जाने का आदेश दिनांक 21-7-14 को हुआ है और उसके एक वर्ष 02 माह बाद आवेदक द्वारा भूमि विक्रय का अनुबंध किया गया है, इस कारण अंतरण संदेहास्पद है और आवेदक के हितों के विरुद्ध है। कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भूमि कय किये जाने अथवा अभिलेख में नाम दर्ज होने के एक माह बाद उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि था आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत नहीं पड़ेगा। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता। दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 01-02-16 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम इब्दा प.ह.नं. 84 रा.नि. मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 509/1 रकबा 1.440 हैक्टर को अनावेदक क्रमांक - 1 श्री गनेश पटेल पुत्र श्री संतलाल पटेल को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो। 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी 	


B
25/1

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 520-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
B LSC	<p>3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।</p> <p>निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है ।</p> <p> (एम0के0 सिंह) सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर</p>	